अपील संख्या –35 / 2025
जीसीएमएस नं. – 2025 / 136

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या –35 / 2025

जीसीएमएस नं. – 2025 / 136

अपीलांट्स –

1. श्रीमती मुन्नी पत्नी श्री मोहनलाल पुत्री स्व. श्री गुणिया, उम्र 72 वर्ष जाति घांची, निवासी राज साईकिल क पास, जालोरी गेट के अंदर, जोधपुर।
2. श्रीमती इचिया पत्नी श्री गिरधारीलाल पुत्री स्व. श्री गुणिया, उम्र 75 वर्ष जाति घांची, निवासी रघुनाथपुरा, सिवांची गेट, जोधपुर।
3. श्रीमती पुष्पा भाटी पत्नी श्री रामस्वरूप भाटी पुत्री स्व. श्री गुणिया उम्र 74 वर्ष, जाति घांची, निवासी 10, मैन आईटीआई रोड, मिल्कमैन कॉलोनी, पाल रोड, जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. श्रीमती सरलादेवी पत्नी स्व. श्री परसराम, उम्र 72 वर्ष जाति घांची निवासी 132, 7, मिल्कमैन कॉलोनी, जोधपुर।
2. राजेन्द्र पंवार पुत्र स्व. श्री परसराम उम्र 56 वर्ष जाति घांची, निवासी इण्डेन गैस गोदाम के पास, पाल गांव, जोधपुर।
3. प्रेम प्रकाश पंवार पुत्र स्व. श्री परसराम उम्र 55 वर्ष, जाति घांची, निवासी प्लॉट नं. 132, गली नं. 7, मिल्कमैन कॉलोनी, पाल रोड, जोधपुर।
4. अशोक कुमार पुत्र स्व. श्री परसराम उम्र 44 वर्ष, जाति घांची, निवासी धिनाला नाडा, पाल रोड, जोधपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू.अ.), जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध आदेश दिनांक 11.06.1992, जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा ग्राम पाल के नामान्तरकरण संख्या 38 पर पारित किया गया

उपस्थिति–

1. अधिवक्ता श्री अशोक पटेल, श्री अनिल राठी (अपीलांट्स की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री शंकरलाल सिनावड़िया, (रिस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 4 तक की ओर से)

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपील संख्या –35/2025
जीसीएमएस नं. – 2025/136

निर्णय दिनांक 14.07.2025

यह प्रथम अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार जोधपुर द्वारा ग्राम पाल के फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 38 पर पारित आदेश दिनांक 11.06.1992 से व्यथित होकर दिनांक 26.09.2023 को अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किए गए तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 तक की ओर सेश्री शंकरलाल सिनावड़िया वगैरा एडवोकेट्स ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 25.03.2025 को अपीलांट्स मुन्नी व इचिया की ओर से श्री अशोक पटेल, अनिल राठी वगैरा ने वकालतनामा पेश किया।

3. अपील मीमो में अंकित तथ्यों अनुसार, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पाल तहसील जोधपुर का खेत खसरा संख्या 458 रकबा 29.19 बीघा गुणिया पुंत्र रामूराम जी की वक्त सेटलमेन्ट से पूर्व की कब्जा काश्त की आई हुई है, जो कि सम्वत् 2011–2030 की मिसल बंदोबस्त से स्पष्ट है। खातेदार गुणीया का नाम संवत् 2024–27, 2036–39, 2045–2048 में खातेदार दर्ज है। गुणिया ने अपने जीवनकाल में इस भूमि बाबत् कोई इच्छापत्र, दानपत्र इत्यादि किसी के भी पक्ष में निष्पादित नहीं किया। इस प्रकार गुणिया दिनांक 29.01.1991 को निर्वसीयती फौत हो गए। गुणिया की मृत्यु के बाद उनके विधिक वारिशान काबिज काश्त होकर संयुक्त खातेदार हो गए, जो हिन्दू उत्तराधिकार एक्ट के तहत् प्रथम श्रेणी के वारिशान है। गुणिया के वारिशान–अपीलांट्स व उनकी पत्नी गंगादेवी व पुत्र परसराम हुए, जिसमें प्रत्येक का 1/5 अविभक्त हिस्सा है। गुणिया की मृत्यु के बाद पुत्र परसराम व पत्नी गंगा देवी ने चुपके–चुपके अधिकारियों से मिलावट करके सिर्फ अपना नाम अपीलाधीन म्युटेशन से दर्ज करा लिया, जबकि अपीलांट्स परसराम की सगी बहने है। दिनांक 16.08.1999 को गुणियां की पत्नी गंगादेवी का भी देहान्त हो गया, जिसका नामान्तरकरण परसराम ने दर्ज नहीं कराया। गंगादेवी की मृत्यु के बाद, विवादग्रस्त आराजी में अपीलांट्स व परसराम का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा हो गया। जब परसराम का भी दिनांक 02.12.2020 को देहान्त हो गया, तो प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 व परसराम की पुत्रिया सन्तोष, सुशीला देवी, सरोज

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

देवी ने आपस में षडयंत्र रचकर, उक्त भूमि में अपीलांट्स के हिस्से को हड़पने की नीयत से, गंगादेवी की गलत वंशावली दर्ज कर व गंगादेवी की कोई पुत्रियां नहीं होने का अंकन करवा कर, पटवारी पाल से गलत टिप्पणी करवाकर, श्रीमती संतोष व अन्य से हकतर्कनामा दिनांक 05.08.2022 से प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 तक के हक में दर्ज करवा दिया। इसके बाद अपीलार्थी को मौके पर खेती करने से रोकाटोकी करने पर अपीलार्थी के पुत्रो ने पटवारी हल्का से दिनांक 02.08.2023 को रिकार्ड की प्रतियां प्राप्त कर यह अपील पेश की है। रिकार्ड से जानकारी मिली कि गुणिया की मृत्यु के बाद अपीलांट का नाम दर्ज नहीं किया है तथा गंगादेवी की मृत्यु के बाद भी अपीलांट्स का नाम दर्ज नहीं किया है। गंगादेवी 16.08.1999 को गुजर गई परन्तु 22 वर्ष तक नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की गई। परसराम की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण संख्या 654 दिनांक 06.10.2022 को ग्राम पंचायत पाल ने प्रस्ताव संख्या 3 से गलत रूप से प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 तक का नाम दर्ज किया जिसके विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) जोधपुर में अपील पेश की थी।

इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 38 दिनांक 11.06.1992 विधि प्रावधानों के विपरीत है। अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। गुणिया के विधिक वारिशान की पूरी जांच किए बिना ही केवल एक पुत्र व पत्नी के नाम दर्ज नामान्तरकरण निरस्त योग्य है। अपीलांट्स गुणिया की जायन्दा पुत्रीयां हैं। जन्मसिद्ध अधिकार से उन्हें अवैध नामान्तरकरण से वंचित नहीं किया जा सकता। पुत्र व पुत्रियों का पिता की सम्पति में समान अधिकार व हक है। प्रत्यर्थी 1 से 4 के पक्ष में परसराम की पुत्रियों द्वारा अपने हक से ज्यादा भूमि का हकतर्कनामा लिखा है, जो अपीलांट्स के अधिकारों के विरूद्ध शून्य होने से अपास्त योग्य है।

अतः नामान्तरकरण संख्या 38 दिनांक 11.06.1992 को खारिज किया जावे।

4. प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 की ओर से दिनांक 17.02.2025 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी. पी. सी. पेश कर ग्राम पाल के नामान्तरकरण संख्या 654 दिनांक 06.10.2022 के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) जोधपुर में प्रस्तुत अपील संख्या 12 / 2023 (मुन्नी वगैरा

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

बनाम सरला देवी वगैरा) में पारित निर्णय दिनांक 24.01.2025 को रिकार्ड पर लेने हेतु निवेदन किया तथा कथन किया कि यह नामान्तरकरण विवादग्रस्त भूमि से ही सम्बन्धित है तथा गंगादेवी के फौत होने पर प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 तक के नाम आराजी दर्ज हुई। अपीलांट्स द्वारा इसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (दक्षिण) ने दिनांक 24.01.2025 को खारिज कर दी। अतः यह दस्तावेज एक सुसंगत दस्तावेज है तथा हस्तगत अपील को निर्णित करने में उपयोगी है।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट्स के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (दक्षिण)द्वारा पारित आदेश अलग नामान्तरकरण के विरूद्ध थी, जिसका हस्तगत प्रकरण से कोई सरोकार नहीं है। आदेश की द्वितीय अपील पेश कर दी गई है।

प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों, उसके संलग्न प्रस्तुत आदेश दिनांक 24.01.2025 में वर्णित कथनों एवं तर्कों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी 1 से 4 तक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत आदेश दिनांक 24.01.2025 को अभिलेख पर लिया जाता है।

5. (a).अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ, अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम 1963 मय शपथपत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र में अपील मीमों में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया है कि दिनांक 05.08.2022 को परसराम की पुत्रियों ने अपने भाइयों (प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 तक) के पक्ष में विवादग्रस्त आराजी में से अपना–अपना हिस्सा तर्क करते हुए हकतर्कनामा रजिस्टर्ड करवाया है, जिसकी जानकारी अभी हाल ही में प्रार्थीगण को तब हुई, जब प्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि पर जाकर सावणु फसल उपज हेतु बुवाई करने खेत पर गए तब प्रत्यर्थी 1 से 4 तक ने विरोध नहीं किया, परन्तु जब हाल में जुलाई के अंतिम सप्ताह में निराई व घुड़ाई करने गए तो प्रत्यर्थी 1 व 4 ने विरोध करना शुरू कर दिया तथा धमकी दी कि उनका रिकार्ड में नाम नहीं है तब अपीलांट्स के पुत्रों ने अपीलांट्स का रिकार्ड में नाम नहीं होने की बात बताने पर, पटवारी से सम्पर्क कर दिनांक 02.08.2023 को रिकार्ड की नकले प्राप्त की, तो पता चला कि

जोधपुर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

गुणिया की मौत के बाद अपीलांट्स का नाम दर्ज नहीं किया है तथा गंगादेवी का दिनांक 16.08.1999 को देहान्त होने पर भी 22 वर्ष तक नामान्तरकरण नहीं भराया तथा परसराम के फौत होने पर गंगादेवी के वारिशान की गलत, फर्जी, कुटरचित व झूठी जानकारी देकर, पटवारी से सांठगांठ करके परसराम व गंगादेवी को ही गुणियां का वारिश बताया। परसराम के अलावा गंगादेवी की पुत्रियां नहीं है। ऐसे गलत तथ्यों के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 654 दिनांक 06.10.2022 को ग्राम पंचायत, पाल से स्वीकार करवाकर रिकार्ड में प्रत्यर्थी 1 से 4 तक ने नाम दर्ज करवा लिया।इस प्रकार आलोच्य अवधि में नामान्तरकरण की जानकारी नहीं हो सकी। जानकारी होने पर नकले प्राप्त कर अपील अन्दर म्याद पेश की जा रही है। देरी तनिक है, सद्भाविक व युक्तियुक्त है। अतः न्यायहित में देरी को क्षम्य कर अपील मेरिट पर निर्णित की जावे।

(b).अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र का दिनांक 14.01.2025 को लिखित जबाव प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 तक की ओर से पेश किया गया जिसमें अपील में व प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को गलत व झूठा बताया, परन्तु यह स्वीकार किया है कि अपीलांट्स परसराम की सगी बहने हैं तथा सही तथ्य यह है कि ग्राम पाल के ख. नं. 458 रकबा 29–19 बीघा भूमि गुणिया के पुराने कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि थी। गुणिया ने दिनांक 28.04.1988 को एक वसीयतनामा, अपने पुत्र परसराम के हक में, दो साक्षीगण के रूबरू राजीखुशी, अकल होशियारी, बिना किसी जोर–दबाव के, बिना किसी नशे पते के, होश हवास में, तन्दुरूस्ती की हालत में, सोच समझकर लिख दिया तथा नोटरी से तस्दीक करवा दिया। गुणिया का स्वर्गवास 29.01.1991 को हो जाने से वसीयतनामा दिनांक 28.04.1988 प्रभावी हो गया तथा वसीयतनामे से परसराम आराजी का काश्तकार हुआ। गुणिया को अपने कब्जे काश्त व स्वामित्व की भूमि को वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था। इस वसीयतनामें पर साक्षी श्रीमती संतोष ने गुणियां के 12वें पर अपीलार्थीगण व उपस्थित सभी परिजनों व रिश्तेदारों को पढ़कर सुना दिया था जिस पर अपीलार्थी ने कोई एतराज नही किया। गुणिया ने अपनी सम्पति में से गंगादेवी को कोई हिस्सा वसीयत नहीं किया फिर भी गलत रूप से गंगादेवी का नाम

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है, जो शून्य व गलत है, इसी कारण से गंगादेवी के फौत होने पर सिर्फ परसराम का नाम दर्ज किया तथा दिनांक 02.12.2020 को परसराम का देहान्त होने से सिर्फ प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 तक का नाम दर्ज किया है। अतः गंगादेवी की गलत वंशावली बताकर नामान्तरकरण दर्ज करने का आरोप निराधार है तथा रिकार्ड के आधार पर ही हकतर्कनामा लिखा है जिसे निरस्त करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अपीलांट्स ने फसल कटाई के दौरान मना करने पर प्रथम बार जानकारी होने का कथन गलत किया है। वसीयतनामा दिनांक 28.04.1988 की जानकारी अपीलांट्स को शुरू से ही है। अपीलांट्स कभी भी वादग्रस्त आराजी पर नहीं गए, न कभी फसल बोई और ना ही उनका वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जा काश्त रहा। पटवारी हल्का से दिनांक 02.08.2023 को दस्तावेज लेने पर जानकारी होने का कथन भी झूठा है। गुणिया के निधन से ही उन्हें राजस्व रिकार्ड की जानकारी थी। अगर अपीलांट्स का वादग्रस्त आराजी में हक होतातो गंगादेवी का दिनांक 16.08.1999 को तथा परसराम का दिनांक 02.12.2020 को निधन होने पर चुपचाप शांत नहीं बैठते, रिकार्ड में नाम दर्ज करवाने का प्रयास जरूर करते, परन्तु कोई प्रयास नहीं किए। अब जमीन की कीमते बढ़ने से अपीलांट्स को लालच आ गया है तथा मनगढ़त झूठे आधारों पर धारा 5 का यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज योग्य है। हमने पटवारी को कोई गलत जानकारी नही दी। प्रत्यर्थी 1 से 4 ने सिर्फ वसीयतनामे के आधार पर ही रिकार्ड में नाम दर्ज करवाये है अतः तथाकथित देरी न तो युक्तियुक्त है और न ही सद्भावी है। बनावटी, मनमाने, झूठे कथनों के आधार पर देरी क्षमा योग्य नहीं है। अतः गलत, झूठे व बदनियतिपूर्ण प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे। प्रत्यर्थी संख्या 2 राजेन्द्र ने जवाब के समर्थन में शपथपत्र भी पेश किया है।

(c).प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकों की तर्कपूर्ण बहस सुनी गई।

(d).प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए अपीलांट्स के विद्वान् अधिवक्ता श्री अनिल राठी ने धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया कि नामान्तरकरण संख्या 38 एकतरफा पारित किया है। अपीलांट्स को कोई नोटिस नहीं दिया। गुणिया के वारिशान की जांच किये

जोधपुर जिला कलक्टर (प्रयाग)
जोधपुर

बिना ही पारित किया है, जो ab-initio-void है ऐसे आदेश पर म्याद कानून लागू नहीं होता है। अपीलांट्स को गुणिया की सम्पति में जन्म से ही अधिकार है, अतः म्याद के बिन्दु पर उसे जन्म से प्राप्त अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रार्थना पत्र में दिए कारण संतोषप्रद है। देरी सद्भावी है, जानबूझकर लापरवाही नहीं बरती है। अतः न्यायहित में मेरिट पर अपील को निर्णित की जावे।

(e).प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 तक के विद्वान् अधिवक्ता श्री शंकरलाल सिनावड़िया ने लिखित कथनों को दोहराया व देरी को कन्डोन करने का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का तर्क दिया तथा इन्होने अपने तर्को के समर्थन में –1981 AIR SC 1921, AIR 1999 Rajasthan 216, AIR 1995 Rajasthan 47, AIR 1995 Gujrat 29 की नजीरे पेश की है।

(f).हमने प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों, अपील मीमों में अंकित अभिकथनों, प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब, उभयपक्षों के विद्वान् अभिभाषकों द्वारा बहस में दिए गए तर्को का अध्ययन कर, उनपर मनन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

अपीलांट्स ने यह अपील ग्राम पाल के ख. नं. 458 के खातेदार गुणियां की मृत्यु दिनांक 29.01.1991 को होने पर विरासत के नामान्तरकरण संख्या 38 दिनांक 11.06.1992 से केवल पुत्र व पत्नी का नाम दर्ज करने के कारण, स्वयं को गुणियां की जायन्दा पुत्रियां बताकर पेश की है। प्रत्यर्थीगण ने अपीलांट्स को परसराम की सगी बहने होने के तथ्य को स्वीकार किया है। अर्थात् विवाद गुणियां की सम्पति में जरिए उत्तराधिकार हक प्राप्त करने से सम्बन्धित है। अपीलांट्स ने अपीलाधीन नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 02.08.2023 को पटवारी हल्का से रिकार्ड की नकले प्राप्त करने पर होना जाहिर किया है। प्रत्यर्थीगण की ओर से ऐसा कोई अभिलेखीय साक्ष्य पेश नहीं किया है, जिससे यह प्रमाणित हो जाए कि अपीलांट्स को अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 11.06.1992 की जानकारी अमुक तिथि को अमुक तरीके से हो गई थी तथा जानकारी के बावजूद भी अपील पेश करने में लापरवाही बरती गई। नामान्तरकरण संख्या 38 दिनांक 11.06.1992 को पारित करते समय भी अपीलांट्स को कोई नोटिस दिया जाना रिकार्ड से प्रमाणित नहीं है अर्थात्

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश दिनांक 11.06.1992 एकपक्षीय आदेश है। अतः इस न्यायालय की राय में अपीलांट्स द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी के लिए दिए गए कारण पर्याप्त है तथा अपीलांट्स द्वारा जानबूझकर अपील पेश करने में देरी की हो, ऐसा तथ्य भी अभिलेख से साबित नहीं हो रहा है। अतः प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत, इस प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लागू नहींकिये जा सकते। यह न्यायालय न्यायहित में बाद बाहुल्यता को रोकने एवं पूर्ण न्याय मेरिट के आधार पर ही करने की मंशा से इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना न्यायोचित मानता है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील पेश करने में हुई देरी को सद्भाविक व समुचित कारणों के आधार पर मानते हुए देरी को कन्डोन किया जाता है तथा अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत होना सुमार की जाती है तथा प्रकरण को मेरिट के आधार पर निर्णित किया जा रहा है।

6. उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकों की मेरिट के आधार पर प्रकरण को निर्णीत करने की दृष्टि से बहस सुनी गई।

7. **(a).**अपीलांट्स के विद्वान् अभिभाषक श्री अनिल राठी ने अपील मीमों में अंकित अभिकथनो को दोहराते हुए कथन किया कि गुणियां के सभी उत्तराधिकारियों की विस्तृत जांच किए बिना ही अपीलांट्स को छोड़कर मात्र एक पुत्र परसराम व पत्नी गंगादेवी के नाम नामान्तरकरण दर्ज करना विधि प्रावधानों के विपरीत है। इसके बाद गंगादेवी की मृत्यु हो जाने पर भी नामान्तरकरण नहीं खोला। इसके बाद परसराम की पुत्रियों द्वारा अपने भाई प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 तक के पक्ष में हक तर्क करती है तो एक सामूहिक नामान्तरकरण संख्या 654 दिनांक 06.10.2022 को स्वीकार किया गया है, जबकि अपीलांट गुणियां व गंगादेवी की जायन्दा पुत्रियां है। इसकी जानकारी होने पर अपील उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) जोधपुर में की तथा नामान्तरकरण संख्या 38 की अपील इस कोर्ट में पेश की है। एस.डी.ओ. कोर्ट में पेश अपील में प्रत्यर्थीगण ने गुणियां द्वारा की गई वसीयत 38 वर्ष बाद प्रथम बार उजागर की, जो अपंजीकृत है। गुणियां की मृत्यु पर नामान्तरकरण संख्या 38 वसीयत के आधार पर दर्ज नहीं हुआ है, बल्कि गुणीयां के वारिशान मात्र एक पुत्र परसराम व पत्नी गंगादेवी के नाम दर्ज हुआ है। अगर दिनांक 11.06.1992 को

जोधपुर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

वसीयत दस्तावेज होता तो नामान्तरकरण भी वसीयत के आधार पर केवल परसराम के नाम ही दर्ज किया जाता तथा गंगादेवी का नाम दर्ज ही नहीं किया जा सकता था। नामान्तरकरण संख्या 654 भी वसीयत के आधार पर दर्ज नहीं किया गया है। परसराम की मृत्यु के बाद परसराम की पुत्रियों ने अपना हिस्सा अपने भाई प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 तक के हक में त्याग किया है परन्तु हकतर्क के डीड में भी गुणीया द्वारा परसराम के पक्ष में निष्पादित वसीयत का कोई जिक्र तक नहीं है।नामान्तरकरण सं. 654 में भी गंगादेवी की कोई पुत्रियां नहीं होना बताया है। ऐसी अपंजीकृत संदिग्ध वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किए जा सकते। अतः उत्तराधिकार में अपीलांट्स गुणीया की सम्पति में हक प्राप्त करने की जन्म से ही अधिकारिणी है। अतः अपील स्वीकार की जाकर, नामान्तरकरण संख्या 38 पर पारित आदेश दिनांक 11.06.1992 को अपास्त किया जावे। विद्वान् अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में 2020 AIR 3717 (Vineeta Sharma V/s Rakesh Sharma and others) की नजीर पेश की। अपीलांट्स की ओर से पूर्व में दिनांक 27.03.2024 को लिखित बहस पेश की गई है जिसमें अपील मीमों में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा व अन्य में (Supreme court) प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

(b). अपीलांट्स के विद्वान् अधिवक्ता की उक्त बहस/तर्कों का खण्डन करते हुए प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 की ओर से दिनांक 26.06.2025 को लिखित बहस प्रस्तुत की गई तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री शंकरलाल सिनावड़िया ने लिखित बहस में अंकित तर्कों को दोहराते हुए तर्क दिया कि ग्राम पंचायत पाल द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्ध अपीलांट्स ने SDO (SOUTH) जोधपुर के न्यायालय में अपील पेश की थी जो दिनांक 24.01.2025 को खारिज हो चुकी है। गुणीया ने अपने जीवनकाल में ही वादग्रस्त आराजी बाबत एक वसीयत परसराम के हक में निष्पादित कर दी थी। अतः गुणीया की सम्पति का एकमात्र उत्तराधिकारी परसराम ही है। वादग्रस्त आराजी सिर्फ गुणीयां की ही कब्जा काश्त व स्वामित्व की थी तथा वह आराजी पुश्तैनी नहीं थी। वसीयत का पेज तीन का पैरा तीन महत्वपूर्ण है। भूल से गुणीयां की मृत्यु पर दर्ज

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

नामान्तरकरण में गंगादेवी का भी नाम दर्ज कर दिया गया। इस कारण गंगा की मृत्यु पर उसका नाम स्वतः ही हट गया क्योंकि वसीयत अनुसार गुणीया का एकमात्र वारिश सिर्फ पुत्र परसराम ही था। परसराम के तीन लड़कियां–संतोष, सुशीला व सरोज है, जिन्होंने परसराम की सम्पति में अपने हिस्सों का तर्क अपने भाई राजेन्द्र, प्रेमप्रकाश व अशोक कुमार व माता सरला देवी के पक्ष में रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 05.08.2022 से त्याग दिया। इस प्रकार अपीलांट मुन्नी देवी, इचिया व पुष्पा को गुणीयां की सम्पति में कोई हक प्राप्त नहीं हो सकते। गुणीया ने अपनी वसीयत में वादग्रस्त आराजी स्वयं की खातेदारी बताकर वसीयत की है जिसके कारण अपीलांट्स को गुणीयां की सम्पति में कोई हक नहीं बनता। अपीलांट्स ने हकतर्कनामा व वसीयत दस्तावेज की वैधानिकता बाबत् कोई प्रश्न नहीं उठाया है। तथा न ही इनको सिविल कोर्ट में चुनौती दी है। अतः ये दोनो दस्तावेज विधि मान्य है। इस न्यायालय में इन दस्तावेजों को साबित करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। दस्तावेज स्वयं ही साबित है। वसीयत दस्तावेज का पंजीबद्ध होना जरूरी नहीं है। केवल दो गवाहों के आधार पर प्रमाणीकरण होना चाहिए तथा इसकी वैधानिकता का परीक्षण भी सिर्फ सिविल कोर्ट ही कर सकता है। अतः वसीयतनामा के आधार पर गुणीयां की सम्पति परसराम को प्राप्त हुई तथा परसराम की मृत्यु पर परसराम के वारिशान को सम्पति प्राप्त हुई, जो सहखातेदार होने से एक दूसरे के पक्ष में अपना हक त्याग कर सकते हैं तथा तीनों बहनों ने अपने सगे भाईयों के पक्ष में रजिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनांक 05.08.2022 से हकतर्क किया है, जो कानूनी रूप से सही होने से मान्य है। हकतर्क नामा को सिर्फ सिविल कोर्ट ही निरस्त कर सकता है तथा अपीलांट्स ने ऐसा नहीं किया है। विद्वान् अधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से कथन किया कि वादग्रस्त सम्पति गुणीयां की स्वअर्जित सम्पति है तथा पैतृक सम्पति नहीं है अतः स्वअर्जित सम्पति की वसीयत/हस्तान्तरण करने में गुणीया निरपेक्ष रूप से सक्षम था। गुणीयां की वसीयत सही है तथा उपखण्ड अधिकारी ने भी अपीलांट की अपील खारिज़ कर दी है। अपीलान्टस ने इस वसीयतनामा को सिविल कोर्ट में चैलेन्ज नहीं किया है। अपीलान्टस के अधिवक्ता का तर्क यही है कि वसीयत बहुत देरी से सामने आई है, परन्तु उनका आरोप यह नहीं है

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

कि वसीयत गलत या फर्जी इत्यादि है। वसीयत में गुणीया ने स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि उसके एक लड़का व तीन पुत्रियां है। इस प्रकार दोनो नामान्तरकरण संख्या 38 व 654 गुणीया की मंशा अनुसार ही हुए है। अतः अपीलांट्स की अपील सारहीन होने से अस्वीकार की जावे।

विद्वान् अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में 2008 DNJ (SC) 852, 2016 SUPREME RAJ 59, 2021(2) CJ(CIV) (SC) 1012, RRT 2002(2) 786, RRD 1984 391, RBJ(1) 1997 308 के न्यायिक दृष्टांत पेश किए।

(c).प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 तक के विद्वान् अधिवक्ता की उक्त बहस का प्रत्युत्तर देते हुए, अपीलांट्स के अधिवक्ता श्री अनिल राठी ने तर्क दिया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 38 दिनांक 11.06.1992 को स्वीकार किया गया है, जो विरासत का है, जिसमें वसीयत दिनांक 28.04.1988 का कोई जिक्र ही नहीं है, अतः वसीयत संदिग्ध है तथा बहुत बाद में फर्जी तैयार की है। इसके अतिरिक्त हकतर्कनामा में सम्पति परसराम व गंगादेवी की संयुक्त खातेदारी की होना अंकित है, अतः गंगादेवी को गुणींया की सम्पति में हिस्सा प्राप्त जरिए उत्तराधिकार हुआ तथा गंगादेवी की मृत्यु होने पर अपीलांट्स उत्तराधिकारी है। इसके अतिरिक्त हकतर्कनामा में वसीयत को चैलेंज नहीं किया है।.अपीलांट्स के विद्वान् अधिवक्ता ने तर्क देते हुए कथन किया कि विशिष्ठ अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के प्रावधानानुसार, जो दस्तावेज विधि प्रावधानों के विपरीत है, उन्हें आक्षेपित कर निरस्त करवाना आवश्यक नहीं है, चूंकि हस्तगत वसीयत एवं हकतर्कनामा विधि के विरूद्ध दस्तावेज है अतः इन्हें सिविल कोर्ट से निरस्त करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जावे।

8. हमनें पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत कथनों एवं तर्कों का भलीभांति गहन अध्ययन कर उन पर मनन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस न्यायालय का विनिश्चय इस प्रकार है कि

(a) ग्राम पाल की खतौनी बंदोबस्त सम्वत् 2011 से 2030 के खाता संख्या 23 पर ख.नं. 458 रकबा 29–19 बीघा भूमि किस्म बारानी अव्वल का

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

घुणियो वल्द रामू कौम घांची साकिन जोधपुर खातेदार के रूप में दर्ज है। इसी प्रकार जमाबंदी सम्वत् 2027–31, 2036–2039, 2045–2048 में भी गुणिया पुत्र रामूराम खातेदार दर्ज हैं।

(b) नामान्तरकरण सं. 38 (ग्राम पाल) के कॉलम 14 में पटवारी पाल द्वारा दिनांक 08.06.1992 को इस प्रकार अंकन किया है।

"खातेदार गुणीया दिनांक 29.01.1991 को फौत हो चुका है। उसके उत्तराधिकारियों के नाम से नामान्तरकरण भर कर, वास्ते जांच हेतु पेश है।"

इसकी जांच भू. अ.निरीक्षक पाल ने दिनांक 11.06.1992 को की तथा तहसीलदार जोधपुर ने दिनांक 11.06.1992 को इसे स्वीकृत किया तथा गुणीया के स्थान पर परसराम पुत्र गुणिया, गंगादेवी पत्नी गुणिया के पक्ष में स्वीकार किया अर्थात् यह नामान्तरकरण वसीयतनामा दिनांक 28.04.1988 के आधार पर दर्ज नहीं किया गया है।

(c) ग्राम पाल की जमाबंदी सम्वत् 2049–52 के खाता संख्या 46, सम्वत् 2061–2064 के खाता संख्या 91 में "परसराम पि. गुणीया, गंगादेवी बेवा गुणीया जाति घांची सा. जोधपुर खातेदार, रहन विजया बैंक पाल अंकित है। इस खाते के आगे दो नोट इस प्रकार अंकित है –

(i).नामान्तरकरण सं. 402, रहनमुक्त दिनांक 28.06.2011 पूरा खाता रहन मुक्त किया।

(ii).नामान्तरकरण संख्या 654/06.10.2022 के जरिए विरासत मय हकतर्क, परसराम एवं गंगादेवी फौत के स्थान पर सरलादेवी पत्नी परसराम, राजेन्द्र, प्रेमप्रकाश, अशोक कुमार पि. परसराम जाति घांची सा. जोधपुर खातेदार दर्ज किया। अर्थात् गंगादेवी का नाम विरासत के आधार पर हटाया है। तथा नामान्तरकरण की परत के पीछे गंगादेवी के कोई पुत्रियां नहीं है, गलत सूचना देकर अपीलांट को वंचित किया है।

(d) ग्राम पाल का नामान्तरकरण सं. 654 दिनांक 15.09.2022 को दर्ज किया है। कॉलम संख्या 7 में इन्द्राज "परसराम पुत्र गुणीया, गंगादेवी पत्नी गुणीया जाति घांची, सा. जोधपुर खातेदार" अंकित है –

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपील संख्या –35 / 2025
जीसीएमएस नं. – 2025 / 136

इसी नामान्तरकरण के कॉलम 14 में इन्द्राज इस प्रकार है –

<u>विरासत मय हकतर्क-</u>

SRIII 1116538657 दिनांक 05.08.2022 जोधपुर पर पंजीबद्ध दस्तावेज अनुसार –

गंगादेवी फौत दिनांक 16.08.1999 एवं पुत्र परसराम फौत दिनांक 02.12.2020 को होने पर व संतोष, सुशीलादेवी, सरोजदेवी द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा हक त्याग करने पर नामान्तरकरण दर्ज कर वास्ते जांच एवं निर्णय हेतु पेश है।

इस नामान्तरकरण की पुश्त पर निम्नानुसार वंशावली अंकित है–

गंगादेवी फौत (दिनांक 16.08.1999)

परसराम (फौत) पुत्र दिनांक (02.12.2020) — पुत्रियां नहीं

सरला देवी (पत्नी)
राजेन्द्र (पुत्र)
प्रेम प्रकाश (पुत्र)
अशोक कुमार (पुत्र)
संतोष (पुत्री)
सुशीला देवी (पुत्री)
सरोज देवी (पुत्री)

"हम यह प्रमाणित करते है कि स्व. गंगादेवी पत्नी स्व. गुणीयां के उपरोक्त वारिशान के अलावा अन्य कोई जीवित या मृत वारिशान नहीं है।"

उक्त नोट के नीचे परसराम की पुत्री संतोष के पति नरेश भाटी के हस्ताक्षर है तथा आधार नं. 93600247 1545 लिखा हुआ है। इस पर पटवारी / सरपंच के भी हस्ताक्षर नहीं है। उक्त नोट पटवारी पाल का हस्तलिखित नोट है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

इसी प्रकार कॉलम संख्या 9 में सरलादेवी पत्नी परसराम, राजेन्द्र, प्रेमप्रकाश, अशोक कुमार पि. परसराम जाति घांची सा. जोधपुर खातेदार अंकित है।

इस नामान्तरकरण संख्या 654 को ग्राम पंचायत पाल ने प्रस्ताव संख्या 03, दिनांक 06.10.2022 से स्वीकृत किया है जिसके विरूद्ध अपील संख्या उपखण्ड अधिकारी (साऊथ) जोधपुर में अपील संख्या 12 / 2023 प्रस्तुत की गई जिसे आदेश दिनांक 24.01.2025 से अस्वीकार की गई है तथा अपीलांट्स को वसीयत चैलेंज करने की सलाह दी गई है।

(e) प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 की ओर से गुणीया पुत्र रामूराम द्वारा दिनांक 28.04.1988 को निष्पादित एवं नोटेरी एन. भंसाली द्वारा प्रमाणित वसीयत की फोटो कॉपी पेश की है। इस वसीयत में कुल चार पृष्ठ है। प्रथम पृष्ठ 2 रू. के स्टाम्प पेपर पर है, जिसकी पुश्त पर नम्बर 338 रूपये 2 नाम गुणीया पुत्र रामूराम वास्ते वसीयत हस्ते स्वयं अंकित है। इस इबारत में स्टाम्प वेंडर का पूरा विवरण अंकित नहीं है अर्थात् स्टाम्प वेंडर का नाम, पता, लाईसेंस नम्बर अंकित नहीं है तथा क्रेता का अंगूठा भी नहीं लगा हुआ है। नोटरी द्वारा अपने रजिस्टर में दर्ज भी नहीं किया है। यह बात सही है कि वसीयत सादे कागज पर भी लिखी जा सकती है, परन्तु यहां पर स्टाम्प क्रय में हुई अनियमितता, वसीयत का दिनांक 28.04.88 को लिखने बाबत् संदेह पैदा कर रही है। वसीयतनामा में अंतिम पृष्ठ 4 पर साख के रूप में मात्र परसराम की पुत्री 1. संतोष पत्नी नरेश भाटी, गणेश होटल, बनाड़ रोड़ जोधपुर, 2. मांगीलाल सोलंकी पुत्र छिन्जी, जाति घांची, उम्र 36 वर्ष, मिल्कमैन कॉलोनी, पाल रोड़, जोधपुर गली नं. 1 के मात्र हस्ताक्षर है। अर्थात् वसीयत का निष्पादन प्राधिकृत तरीके से नहीं किया गया है। वसीयतनामा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर उक्त गवाहों के नही है तथा साख की इबारत में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63 (सी) के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। धारा 63(सी) के प्रावधानानुसार, प्रत्येक साक्षी को वसीयत दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर

जोधपुर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

हस्ताक्षर करने होगे तथा यह पृष्ठांकन करना होगा कि निष्पादनकर्ता ने वसीयत के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर/अंगूठा उनके सामने किया है तथा गवाहों ने भी अपने हस्ताक्षर निष्पादनकर्ता के समक्ष अमुख स्थान एवं दिनांक को किए है। गवाह संतोष हितबद्ध व्यक्ति है। क्योंकि वह लाभार्थी परसराम की पुत्री है तथा उसकी उम्र 22–23 साल ही थी।

वैध वसीयत के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने H. Venkata Chala Jyenger Vs. B. N. Thimmajamma & ors. (13-11-1958) 1959 AIR 443, Chinu Rani Ghosh V/s Subhash Ghosh (11-12-2024, SLP No. 23721/2022), Gopal Krishnan & ors. v/s Daulat R ors Civil Appeal No. 13194/2018निर्णय दिनांक 02.01.2025 ,K. Laxamanan V/s V. Thekkayil Padmini (2009),नरेन्द्रसिंह राव बनाम इन्द्रसिंह राव (सिविल अपील संख्या 6918/2011(SC)) दिनांक 22.03.2013, राधमा बनाम H. M. Muthu Krishna , Lian Coalho v/s Myra philornena coalho 2025(1) RRT 532, Meena Pradhan v/s Kamala Pradhan 2025 (1) RRT 537 में सिद्धान्त तय किए है। उक्त न्यायिक दृष्टांतों की रोशनी में हस्तगत वसीयत संदिग्ध प्रतीत होती है।

इसी प्रकार माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन संख्या 241/2025 में पारित निर्णय दिनांक 09.01.2025 में निम्न व्यवस्था दी है –Competent court can only mutate legatees in records, once will has been proved.Revenue courts are prevented from recording statements of the parites. Genuineness of the will, can be examined by civil courts, whether will is registered or not.

इसी प्रकार Mohan Jayswal vs. Northern Coal Field Ltd., (Writ Petition No.2863/2024, decision dated 16.02.2024), and Govind Gaur vs.MaheshGaur, (Misc. Petition No.2826/2019, D/d

जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

30.04.2024) ,M.P. High Court, relying on judgement of supreme court in Jitendra Singh Vs.State of M.P., S.L.P.(civil) No.1316/2021 D/d 06.09.2021, has held as under. 'A will without any formal proof cannot be acted upon by the revenue authorities to mutate the names of beneficiaries.'अर्थात् जब तक सिविल न्यायालय द्वारा वसीयत की वैधानिकता का परीक्षण नहीं हो जाता, राजस्व अधिकारी लाभार्थियों के नाम नामान्तरकरण दर्ज नहीं कर सकते।

उक्त तथ्यात्मक विश्लेषण व विवेचनानुसार, इस न्यायालय का मत है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 तक की ओर से दिनांक 28.04.1988 को स्वर्गीय गुणीया द्वारा निष्पादित बताई जा रही वसीयत संदेहास्पद लग रही है तथा लाभार्थी परसराम की मृत्यु दिनांक 02.12.2020 के बाद दर्ज नामान्तरकरण सं. 654 के निस्तारण दिनांक 06.10.2022 तक भी उजागर नहीं की गई। इससे प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होता है कि यह वसीयत दिनांक 06.10.2022 के बाद पिछली तारीख में तैयार की गई है तथा लाभार्थी की पुत्री के एक गवाह के रूप में उस पर हस्ताक्षर है तथा लाभार्थी परसराम ने अपने जीवनकाल में वसीयत का निष्पादन (Execute) नहीं कराया है तथा वसीयत में निष्पादक (Executor) की नियुक्ति भी नहीं की गई है। वसीयत किसके द्वारा, कहां पर बैठकर लिखी, अर्थात् वसीयत के लेखक (Scribe) का विवरण भी इसमें नहीं है, जबकि यह टाइपसुदा है। उक्त विवरण के न्यायिक दृष्टांतो में दिए गए सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में यह वसीयत प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होती है तथा संदेहास्पद परिस्थितियों में तहरीर की जाना प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होती है, जिसका वास्तव में मृतक गुणीया द्वारा दिनांक 28.04.1988 को निष्पादित किये जाने के तथ्य की जांच बहुत बारीकी से व गहनता से समुचित साक्ष्य से सक्षम न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 38 दिनांक 11.06.1992 उक्त वसीयत के आधार पर दर्ज नहीं किया गया है, बल्कि गुणीयां की मृत्यु पर उसके विधिक वारिशान को राजस्व रिकार्ड में दर्ज

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

करने हेतु दर्ज किया है तथा प्रथम बार अपील में प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 तक ने यह वसीयत पेश कर, वसीयत के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण खोलने का दावा किया है, जो इस न्यायालय की राय में विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 तक को सक्षम न्यायालय में वसीयत की वैधानिकता बाबत् उजरदारी करनी चाहिए। नामान्तरकरण की समरी प्रक्रिया में उक्त विवादास्पद वसीयतं के आधार पर अपील स्तर पर अपीलांट की अपील अस्वीकार करना विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में उचित नही है तथा वसीयत की वैधता का परीक्षण होने तक विरासत का नामांतरकरण लम्बित रखा जाना विधि सम्मत नहीं है। इसके अतिरिक्त इस वसीयतनामा का निष्पादन करने हेतु निष्पादक की नियुक्ति वसीयतकर्ता ने नही की है। यह न्यायालय 2002 RRT (2) 786, 1984 RRD 391 एवं 1997 RBJ (1) 308 में दिए मतों से सहमत है। वसीयत का पंजीबद्ध होना तथा उसका प्रोबेट प्राप्त करना राजस्थान में आवश्यकता नहीं है, परन्तु हस्तगत वसीयत के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज ही नहीं किया गया है तथा उसका दिनांक 28.04.1988 को निष्पादित किया जाना ही उपरोक्त विवेचनानुसार संदिग्ध है।

(f) परसराम की पुत्रियां–सन्तोष, सुशीला, सरोजदेवी ने दिनांक 05.08.2022 को एक हकतर्क नामा का दस्तोवज (प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 तक) सरला देवी, राजेन्द्र पंवार, प्रेमप्रकाश पंवार व अशोक कुमार के पक्ष में निष्पादित कर, ग्राम धिनाणा की ढाणी (पूर्व ग्राम पाल) के ख.नं. 458 रकबा 29–19 बीघा बाबत् निष्पादित किया है, जिसका प्रथम पैरा इस विवाद के प्रयोजनार्थ सारवान होने से यहां उदृत् किया जा रहा है–

यह है कि हम प्रथम पक्षकारान एवं आप द्वितीय पक्षकारान संख्या 2 से 4 के पिता एवम् दादी एवं द्वितीय पक्षकार संख्या 1 के पति एवं सास, स्व. श्री परसराम पुत्र गुणीया एवं श्रीमती गंगादेवी पत्नी गुणीया की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खेत. खसरा संख्या 458 रकबा 29–19 बीघा वाके ग्राम धिनाणा की ढाणी में आई हुई है, जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2061–2064 की खेवट खतौनी संख्या

जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

नई 91 व पुरानी 69 से स्पष्ट है, उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में हम प्रथम पक्षकारान एवं आप द्वितीय पक्षकारान् सं. 2 से 4 के पिता एवं दादी एवं द्वितीय पक्षकार संख्या 1 के पति एवं सास क्रमशः स्व. श्री परसराम पुत्र गुणीया एवं स्वर्गीय श्रीमती गंगादेवी पत्नी गुणीया की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है।

यह हकतर्कनामा उपपंजीयक (तृतीय) जोधपुर के कार्यालय में दिनांक 05.08.2022 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1165 पृष्ठ संख्या 3 क्रम संख्या 202203053108657 पर पंजीबद्ध हुआ है तथा इस पर वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 तक सरला देवी, राजेन्द्र, प्रेमप्रकाश व अशोक कुमार के हस्ताक्षर है। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 05.08.2022 तक गंगादेवी सहखातेदार थी तथा परसराम के पक्ष में वसीयत नहीं थी।

9. उक्त अभिलेखीय तथ्यात्मक विश्लेषण से निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते है –

(a) खतौनी बंदोबस्त ग्राम पाल सम्वत् 2011 से 2030 तक के अनुसार ख. नं. 458 रकबा 29–19 बीघा भूमि पुश्तैनी भूमि है। गुणिया द्वारा उक्त आराजी स्वअर्जित करने का कोई साक्ष्य सबूत प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 तक ने पेश नहीं किया है। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 के प्रावधानानुसार प्रत्येक कृषक, उस भूमि का विधि प्रवर्तन से ही खातेदार कृषक, खतौनी बंदोबस्त में दर्ज हुआ तथा धारा 40 टिनेन्सी एक्ट 1955 अनुसार खातेदार के हित व्यक्तिगत कानून अनुसार अन्तरित होते है। निर्विवाद रूप से एवं स्वीकार्य रूप से, अपीलांट्स मुन्नी, इचिया व पुष्पा, गुणीयां पुत्र रामूराम की जायन्दा पुत्रीयां है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के प्रावधानानुसार प्रथम वर्ग की वारिस है तथा गुणीयां के पुत्र परसराम व पत्नी गंगादेवी के साथ साथ, अपीलांट्स भी बराबर हिस्सा जरिए उतराधिकार प्राप्त करने की कानूनी रूप से अधिकारिणी हैं।ऐसा ही अभिमत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020 AIR SC 3717 में प्रतिपादित किया है तथा अपीलांट्स को न्यायालय से ऐसी घोषणा करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(b) गुणीयां के फौत होने पर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 38 दिनांक 11.06.1992 को केवल परसराम (पुत्र) व गंगादेवी (पत्नी) के नाम दर्ज विरासत के रूप में दर्ज किया है। अगर गुणीया द्वारा दिनांक 28.04.1988 को तथाकथित वसीयत निष्पादित की गई होती तथा उस समय वसीयत अस्तित्व में होती, तो निश्चित रूप से लाभार्थी परसराम वसीयत पेश कर वसीयत के आधार पर ही नामान्तरकरण केवल अपने नाम ही दर्ज करवाता। इसके अतिरिक्त गंगादेवी का खातेदार के रूप में लम्बे समय तक नाम रिकार्ड में दर्ज चलता रहा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि गंगा देवी सह खातेदार थी। अगर परसराम के पक्ष में वसीयत होती तो परसराम अपने जीवनकाल में ही निष्पादित करवाता। उपरोक्त पैरा 8(f) में दिए गए विवरण से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 तक ने, हकतर्क नामा में भी गंगादेवी को संयुक्त खातेदार के रूप से स्वीकार किया है। हकतर्कनामा के दस्तावेज में वसीयत का कोई हवाला नहीं है। इसके अतिरिक्त नामान्तरकरण संख्या 654 में किये गए अंकनों में भी यह नामान्तरकरण सं. 654 गंगादेवी के फौत होने पर विरासत के रूप में खोला गया है तथा इसमें भी गुणीया द्वारा अपने पुत्र परसराम के पक्ष में की गई वसीयत दिनांक 28.04.1988 का कोई हवाला तक नहीं है। नामान्तरकरण की पुश्त पर गंगादेवी के कोई पुत्री नहीं होने का गलत अंकन किया गया है तथा इसे परसराम की पुत्री संतोष के पति नरेश भाटी ने तस्दीक किया है, जो स्वयं हितबद्ध व्यक्ति है तथा प्रत्यर्थी 2 से 4 तक का बहनोई तथा प्रत्यर्थी 1 का जवाई है। इस वंशावली पर पटवारी के हस्ताक्षर नहीं है फिर भी नामान्तरकरण में इन्द्राज पटवारी ने इसी वंशावली के आधार पर किए है, जो पटवारी के कर्त्तव्यों के विपरीत है तथा नियमों की अवहेलना के साथ गंभीर दुराचरण है, जबकि गुणीयां की तीन पुत्रियां मुन्नी, इचिया व पुष्पा जीवित है। उक्त सारी वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि नामान्तरकरण संख्या 654 को स्वीकार करने की तिथि 06.10.2022 तक तथाकथित वसीयतनामा सामने नहीं आया तथा वसीयतनामा के प्रारंभिक परीक्षण में हमारी राय में जो कमियां है, उसका उल्लेख उक्त पैरा 8(e) में

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

किया जा चुका है। वसीयत को प्रमाणित करने का भार लाभार्थी परसराम पर था, परन्तु उन्होंने अपने जीवनकाल में 32 वर्ष 'तक भी वसीयत का निष्पादन नहीं कराया, इससे इसकी सत्यता पर संदेह और गहरा हो जाता है।

(c).राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 207 के प्रावधानानुसार कृषि से सम्बन्धित विवादों का निपटारा करने का एकमात्र क्षेत्राधिकार सिर्फ राजस्व न्यायालयों को ही है तथा धारा 207/256 अनुसार सिविल कोर्ट को राजस्व मामलों में विवादों का न्याय निर्णय करने से वर्जित किया गया है। नामान्तरकरणों के जरिए हितबद्ध व्यक्तियों के अधिकार अभिलेखों में दर्ज किए जाते है। अतः इन विवादों का निपटारा करने में यह न्यायालय सक्षम है तथा शून्य रजिस्टर्ड दस्तावेजों को भी निरस्त करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि इस प्रकरण में किसी भी पंजीबद्ध दस्तावेज को अपास्त नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर2016 0Supreme (Raj) 59 तथा 2021 (2) CJ (Civ.) SC 102राजस्थान नगर पालिका कानून के तहत् जारी आबादी भूमि के पट्टों से सम्बन्धित है।

(d). Hon'ble Supreme court,in Jitendra Singh vs. State of M.P. (SLP (civil) No.13146/2021, date of decision 06.09.2021,while following the Balwant Singh vs.Daulat Singh,(1997)7 SCC 186,Suman Verma vs. Union of India (2004)12 SCC 58, Faqruddin vs.Tajuddin (2008)8 SCC 12, Rajinder Singh vs State of J & K.(2008) SCC368, Municipal Corporation,Aurangabad vs.State of M.P. (2015)16 SSC689,T.Ravi vs.B.Chima Narsimha (2017)7 SCC 342, Bhimabai Mahadev Kambakar Vs. Arthur Import & Export Co. (2019)3 SCC 191, Prahlad Pradhan vs.Sonu Kumhar (2019)10 SCC 259,and Ajit kaur vs.Darsan Singh (2019)13 SCC 70, in para 7 held as under-

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

"7.In view of the above settled proposition of law laid down by this court, it cannot be said that the high court has committed any error in setting aside the order passed by the revenue authorities directing to mutate name of the petitioner herein in the revenue records on the basis of the alleged will dated 20.05.1998, and relegating the petitioner to approach the appropriate court to crystalise his rights on the basis of the alleged will dated 20.05.1998. We are in complete agreement with the view taken by the high court.

8.The special writ petition is accordingly dismised."

(e).उक्त स्थिति से यह निष्कर्ष निकलता है कि गुणींया की दिनांक 29.01.1991 को मृत्यु होने पर विधि अनुसार उत्तराधिकार तुरन्त प्रभाव से प्रभाव में आ जाता है। उत्तराधिकार लम्बित नहीं रहता है। अतः दिनांक 29.01.1991 को गुणीयां के फौत होने पर गुणीया की पत्नी गंगादेवी, पुत्र परसराम व तीन पुत्रीयां मुन्नी, इचिया व पुष्पा उत्तराधिकारी थे। गंगादेवी की भी दिनांक 16.08.1999 को मृत्यु होने से गंगादेवी की सम्पति में परसराम, मुन्नी, इचिया व पुष्पा प्रत्येक का 1/4 हिस्सा बनता है।

इसी प्रकार परसराम की दिनांक 02.12.2020 को मृत्यु होने पर परसराम की पत्नी सरलादेवी, तीन पुत्र व तीन पुत्रियां, गुणिया की सम्पति में 1/4 में per Capita &per Stirpes अनुसार हिस्सा तक की उत्तराधिकारी है तथा प्रत्येक पुत्री अपना 1/28 हिस्सा अपनी माता व तीनों भाइयों को तर्क कर सकती है। हकतर्क के दस्तावेज में भी इन्होंने अपना हिस्से को ही तर्क किया है।

10. इस प्रकार गुणिया की मृत्यु के बाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के प्रावधानों के तहत् पुत्र परसराम व पत्नी गंगादेवी के साथ साथ अपीलांट्स पुत्रियों का नाम भी विरासत के आधार पर दर्ज होकर स्वीकृत होना चाहिए था, किन्तु तहसीलदार जोधपुर ने बिना किसी प्रकार की, गुणियां के जायज वारिशान बाबत् पूर्ण जांच किए तथा अपीलांट्स को सुनवाई का पर्याप्त

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अवसर प्रदान किए बिना ही एकतरफा, केवल तीन दिन में ही परसराम व गंगादेवी के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 38 स्वीकृत कर दिया, जो न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः मृतक गुणिंया के जायज वारिशान की जांच करने हेतु प्रकरण तहसीलदार, कुड़ी भगतासनी को प्रति प्रेषित किया जाना जायज है। हम अपीलांट्स के उक्त तर्कों से सहमत है।

(a) ऐसा ही अभिमत 2025 RRT (1) 625 एवं2025(1) RRT 215 में प्रतिपादित किया है।

(b) 2005 RRD 85(गोपालसिंह बनाम श्रीमती रामवती) के पैरा 7 में निम्नानुसार सिद्धान्त प्रतिपादित किया है –

"7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महिला बजरंगी विरूद्ध बोदरी बाई,2003(2) DNJ (SC) 346में यह माना है कि–"That mutation proceedings before revenue authorities are not judicial proceedings in any court of law and does not decide questions of title to immovable property. "

राजस्थान उच्च न्यायालय ने जेठूसिंह बनाम भंवरसिंह 2003(3) DNJ (राज) 113 में यह अभिनिर्धारित किया है कि:–"Thus in view of the above, law on the subject can be summarised that fiscal entries like mutation do not represent or create any title or interest in the property nor the complicated issues of succession, either by way of will or adoption can be settled in mutation proceedings and the parties have to approach the appropriate forum for adjudication of title.

नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसिडिंग है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के राइट, टाइटल का निर्णय नहीं किया जाता है। वसीयत असली या नहीं, यह जांच का विषय है, जिसे नामान्तरकरण के दौरान नहीं देखा जा सकता। नामान्तरण पदाधिकारी, नामान्तरकरण के

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

विषय में केवल सरसरी रूप से जांच करता है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2003(3) RRT 647 में यह भी निर्धारित किया है –

"It is relevant to mention here that entire excercise in this matter is outcome of mutation proceedings by which only entries in revenue records are made. Admittedly, this is fiscal proceedings.There appears, no justification to makechanges in revenue records, during the pending of suit, where only rights of the parties can be determined and consequential entries can be made according to decision of the competent court in suit."

राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2003(2) RRT 650 में यह अभिनिर्धारित किया है कि –

Fiscal entries like mutations, cannot represent or create any title or interest in the property, nor the complicated issue of succession, either by way of will or adoption can be settled in mutation proceedings and the parites have to approach the appropriate forum for adjudication of title.

माननीय उच्चतम न्यायालय ने (1996) 6 SCC223 में नामान्तरकरण के सम्बन्ध में यह अभिनिर्धारित किया है कि :–

Mutation of property in the revenue record does not create or extinguish title nor has it any presumptive value of title. It only enables the person, in whose favour the mutation isentered, to pay the land revenue in questions.

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

11. उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 तक का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 38, मृतक खातेदार गुणीया द्वारा निष्पादित विवादास्पद वसीयत दिनांक 28.04.1988 के आधार पर दर्ज किया गया है तथा अपीलांट्स का वादग्रस्त सम्पति में कोई हक/हिस्सा गुणीया के वारिशान को हैसियत से नहीं है, जबकि निर्विवाद रूप से प्रत्यर्थीगण की स्पष्ट स्वीकारोक्ति अनुसार, अपीलांट्स गुणीया की व गंगादेवी की जायन्दा पुत्रियां है तथा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 38 में नामान्तरकरण दर्ज करने का कारण गुणीया की दिनांक 29.01.1991 को मृत्यु होने पर वारिश परसराम व पत्नी गंगादेवी के नाम दर्ज किया है। अगर वसीयत दिनांक 28.04.1988 के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया गया होता, तो गंगादेवी का नाम क्यों दर्ज किया गया। विवादास्पद वसीयतनामा में भी गंगादेवी के पक्ष में सम्पति वसीयत करने का कोई उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार, परसराम व गंगादेवी के फौत होने पर दर्ज किए गए नामान्तरकरण संख्या 654 में गंगादेवी की कोई पुत्रियां नहीं होने की गलत रिपोर्ट करके, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 तक ने अपीलांट्स को पिता की सम्पति में हक प्राप्त करने से रोकने के लिए पूरा–पूरा प्रयास किया है तथा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रथम बार तथाकथित संदिग्ध वसीयत पेश कर मामले को कलिष्ट बना दिया है। अतः अगर प्रत्यर्थीगण, वसीयतनामा के आधार पर अकेले परसराम का ही नाम दर्ज कराना चाहते है, तो उन्हें सक्षम न्यायालय से वसीयत की वैधता का परीक्षण करवाना होगा। यह न्यायालय विवादास्पद व संदिग्ध तथाकथित वसीयत दिनांक 28.04.1988 के आधार पर, अपील में अपीलांट्स की विरासत आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करना न्यायोचित नहीं मानता है एवं विरासत का नामान्तरकरण लम्बित रखना न्यायोचित व विधि सम्मत नहीं है। फलस्वरूप, यह न्यायालय इस अपील को स्वीकार करना उचित व न्यायसंगत पाता है। अकेले प्रत्यर्थीगण सं. 1 से 4 तक का वसीयत दिनांक 28.04.1988 के आधार पर अगर कोई अधिकार बनता है तो वे सक्षम न्यायालय से अपने अधिकारों का निस्तारण करावे तथा सक्षम न्यायालय द्वारा जैसी भी अंतिम आदेश/डिक्री पारित की जायेगी, तदनुसार नियमानुसार राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज करने का स्पष्ट रूप से प्रावधान किया हुआ है। ऐसा ही

जपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

सिद्धान्त प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 तक द्वारा प्रस्तुत नजीर 2008 DNJSC 852 (राजिन्दर सिंह बनाम जम्मू व कश्मीर राज्य व अन्य) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिपादित किया है।

12. उक्त विवेचनानुसार, अपीलांट्स द्वारा यह अपील स्वीकार योग्य है तथा ग्राम पाल के नामान्तरकरण सं. 38 पर पारित आदेश दिनांक 11.06.1992 अपास्त योग्य है तथा नामान्तरकरण संख्या 38 के पश्चात्, राजस्व रिकार्ड में किए गए पश्चात्वर्ती समस्त इन्द्राज भी पारिणामिक रूप से अपास्त योग्य है।

प्रकरण को पुनः प्रेषित करने के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने P. Purushottam Reddy & Anr. V/s Pratap Steels Ltd. (2002) 2 SCC 686 निम्न व्यवस्था दी है –

"The orders of remand in stale matter ought to be eschewed, as such orders merely prolong litigation to great inconvenience to the litigants and with the potential of gross inequities. Reference in this regards can also be had to judgement of the Hon'ble Supreme Court in Keshavadas Shivadharrao Savarkar v/s L.A.O, reported in (2011) SCC 476, wherein court proceeded to adjudicate the issue finally without remanding the matter."

उपरोक्त व्यवस्था अनुसार हस्तगत प्रकरण में स्वीकार्य रूप से अपीलांट्स गुणीयां की जायन्दा पुत्रियां है तथा उनका एकमात्र पुत्र परसराम व पत्नी गंगादेवी ही वारिसान है। अतः प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु प्रति प्रेषित करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रकरण को इस न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से निस्तारित किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

13. परिणामस्वरूप, अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पाल के नामान्तरकरण संख्या 38 पर पारित आदेश दिनांक 11.06.1992 को अपास्त किया जाता है तथा इस अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 38 के आधार पर राजस्व अभिलेखों में किए गए पश्चात्वर्ती समस्त इन्द्राज अपास्त

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

किये जाते है। मृतक खातेदार गुणीया की ग्राम धिनाणा की ढाणी (पूर्व ग्राम पाल) के ख.नं. 458 रकबा 29–19 बीघा की भूमि में गुणिया के विधिक वारिशान अपीलार्थी मुन्नी देवी, इचिया, पुष्पा पुत्रियां गुणीया, गंगादेवी पत्नी गुणीया, परसराम पुत्र गुणीया के नाम बहिस्सा बराबर जरिये नामान्तरकरण दर्ज करे। उक्त इन्द्राज नियमों में निहित अवधि में दर्ज किए जावे तथा इसके बाद पश्चात्वर्ती उत्तराधिकार से सम्बन्धित इन्द्राज भी नियमानुसार पूर्ण किए जावे।

14. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार कुड़ी भगतासनी को लौटाया जावे।

15. लम्बित समस्त प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो तो) निस्तारित किए जाते है।

16. पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

उक्त निर्णय आज दिनांक 14.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर